




कार्यालय, नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)



पत्रांक...../

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर, मुंगेर।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0ह0)
बिहार पटना।

नगर पंचायत, ह0 खड़गपुर दिनांक...../

विषय :-

नगर पंचायत हवेली खड़गपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-277/2016-17, ⁵²⁹526/2014-15, 646/2013-14 एवं 119/2008-09 का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में निदेशानुसार नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर में लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-277/2016-17, ⁵²⁹526/2014-15, 646/2013-14 एवं 119/2008-09 का बिन्दुवार अलग-अलग अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन



नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत
हवेली खड़गपुर (मुंगेर)

ज्ञापांक. 904 /

दिनांक. 11-9-2018 /

प्रतिलिपि :- उपसमाहर्ता प्रभारी, जिला समान्य शाखा, मुंगेर की सेवा में अनुलग्नक की एक प्रति के साथ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में उनके पत्रांक-1338, दिनांक-20.06.2018 के क्रम में अनुलग्नक की एक-एक प्रति संलग्न करते हुए सादर सूचनार्थ प्रेषित।


नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत
हवेली खड़गपुर (मुंगेर)
11-9-18

OFFICE, NAGAR PANCHAYAT, HAVELI KHARAGPUR, MUNGER

Audit Report No- 646/2013-14

Period - 2007-08 to 2012-13

Audit Compliance Report

Sr No	Para No	Brief Particulars of The Parag	Compliance by The Executive Officer	Recommendation of The Audit Party	Accepts /Other wise by Examinars of Local Accounts Bihar patna
1	2	3	4	5	6
1	01 to 03	प्रस्तावना	कॉडिका 01 से 03 तक नियमित कॉडिकारें है कृपया इन्हें स्थगित किया जाय।		
2	04	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन -	सभी पूर्ववर्ती लेखा परीक्षाओं का अनुपालन बारी-बारी से किये जा रहे है, कृपया इसे समाप्त किये जाय।		
3	5 + 6	प्रमुख लेखा परीक्षा उपलब्धियों एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा	ये नियमित कॉडिका है इसे समाप्त करने की कृपा की जाय।		
4	7 + 8	वित्तीय अधिदृश्य बैंक समाधान विवरणी।	उप कॉडिका 01 से 07 तक में दर्शाए गये आपत्ति के संबंध में स्पष्ट करना है कि रोकड़पंजी नियमित रूप से शीर्षवार अद्यतन रखे जाते है। बैंक ब्याज का इन्दराज रोकड़पंजी में किये जाते है शेष के सुधार हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।		
5	09	वार्षिक लेखा एवं बजट प्राक्कलन	वार्षिक लेखा एवं बजट प्राक्कलन वर्ष वार नियमित रूप से तैयार किये जा रहे है इस दिशा में उचित एवं प्रभावी कदम उठाये जा रहे है।		
6	10	सरकारी अनुदान	सरकारी अनुदान की प्राप्त राशि को नियमित रूप से रोकड़वही एवं आवंटन पंजी में दर्ज किये जाते है। कोषागार खता का संधारण हेतु कोषागार पदाधिकारी को नियमित रूप से उपलब्ध करा दिये जाते है। मो0-1800000 (अठारह लाख) की प्राप्ति हेतु सरकार से अनेकों बार प्रयास किये गये है, अब तक अप्राप्त है।		

7	11	निधि का अवरोधन	सरकार द्वारा जिस मद में आवंटन उपलब्ध कराये जाते है उस मद में राशि व्यय किये जा रहे है। प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य हेतु प्रयास किये गये है, अब शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे। SBM योजनान्तर्गत शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। अतः राशि का अवरोधन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा रहा है। इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।		
8	12	13 वें वित्त मद की अनुदान राशि का वित्तन 34.13 (लाख में)	ये सभी योजनाएं नगर पंचायत की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये गये है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।		
9	13	कम / नहीं जमा 3.54 (लाख में)	होल्डींग रसीद एवं विविध रसीद की राशि मो0-353947=00 रु0 मात्र की वसूली संबंधित कर्मों के मासिक वेतन से कटौती कर कर ली गई है, और नगर पंचायत के निधि में जमा किये गये है। अतः इस कंडिका को समाप्त किये जाय।		
10	14	होल्डींग टैक्स का पुनरीक्षण नहीं	वित्तीय वर्ष 2013-14 से सरकार द्वारा सवीकृत दर होल्डींग कर की वसूली नियमित रूप से की जा रही है।		
11	15	सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं 5.30 (लाख में)	सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना द्वारा बकाया एवं हाल के वर्षों का अलग अलग प्रतिवेदन की मांग की गई है, जिसकी सूची तैयार कर विभाग को भेजी जा रही है, सभी सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली हेतु सरकार के स्तर से प्रयास किये जा रहे है।		

12	16 होल्डींग टैक्स का बकाया राशि-8.87 (लाख में)	हाल के वर्षों में होल्डींग टैक्स की वसूली में उत्तरांतर वृद्धि हुई है। होल्डींग टैक्स की वसूली नियमित रूप से की जा रही है। वसूली संतोषप्रद है। अतः इस कड़िका को समाप्त करने की कृपा की जाय।		
13	17 स्वास्थ्य एवं शिक्षा उप कर की राशि की वसूली नहीं। 1.42 (लाख में)	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उप कर की राशि की वसूली की गई राशि सरकारी कोष में जमा करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से होल्डींग कर की वसूली वर्गफ्रीट के अनुसार की जा रही है। इस कड़िका को समाप्त करने की कृपा की जाय।		
14	18 बकाया दुकान किराया राशि- 4.32 (लाख में)	जय प्रकाश मार्केट कम्प्लैक्स के अन्तर्गत मासिक दुकान भाड़ा की वसूली हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन दुकानदारों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, चूंकि दुकानदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में परिव्राद दायर किये गये हैं। नगर पंचायत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त दुकानदारों से बकाया दुकान भाड़ा की वसूली शाखी से कर ली जायेगी, और नियमानुसार भवन नियंत्रण अधिनियम के तहत दुकान भाड़ा में वृद्धि की जायेगी। अतः इस कड़िका को समाप्त करने की कृपा की जाय।		

			संचार (मोबाईल टाबरों का पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की बकाया राशि- 2.88 (लाख में)	संचार मोबाईल टाबर से बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार नगर पंचायत हवेली खड़गपुर क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा अधिष्ठापित मोबाईल टाबर से पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। बकाये राशि की जानकारी बोर्ड की बैठक में दिये जाने के पश्चात मोबाईल टाबर को शील बन्द करने की कार्रवाई की जायेगी। राशि की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा किये जायेंगे। इस कंडिका को विलोपित किये जाय।		
15	19		सुरक्षित जमा से कम में बन्दोवस्ती किये जाने से राजस्व की क्षति -0.70 (लाख में)	सुरक्षित जमा से कम में बन्दोवस्ती बोर्ड के निर्णय के आलोक में जानकारी के अभाव में किये गये हैं। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी इसका ख्याल रखा जायेगा। अतः इस कंडिका को समाप्त किया जाय।		
16	20		सैरातों की बन्दोवस्ती हेतु सुरक्षित जमा राशि का गलत निर्धारण होने से राजस्व हानि की संभावना।	सैरातों की बन्दोवस्ती हेतु सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण गलत हुआ है यह जानकारी के अभाव में हुआ है। वर्तमान में एवं भविष्य में अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण किये जायेंगे। अतः इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।		
17	21		स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं होने से सरकार को राजस्व की क्षति 0.42 (लाख में)	स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा बन्दोवस्तीधारी से नहीं किया जाना जानकारी का अभाव है। अब दिये गये सुझाव के मुताबिक बन्दोवस्तीधारी से बन्दोवस्त राशि के 30% के बराबर स्टाम्प पेपर प्राप्त किये जाते हैं। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।		
18	22					

19	23	सोलर लाईट की खरीद में वित्तीय अनियमितताएं	नगर पंचायत हवेली खड़गपुर द्वारा सोलर लाईट का क्रय जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त द्वारा चयनित एजेन्सी पर दर के आधार पर उनके पत्रांक-244 दिनांक-07.05.2012 के आलोक में मे0 आर्शाबाद अक्षय ऊर्जा मुंगेर से किया गया था इसमें नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है, और न मूल्य में कोई कोई विचलन किया गया है। अतः इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।		
20	24	अनियमित रूप से एकल निविदा की स्वीकृति।	निविदा आमंत्रित करने निविदा का निस्तारण इत्यादि कार्य हेतु नगर निकाय में एक तकनिकी पदाधिकारी की आवश्यकता है। ये सब गलती तकनिकी जानकारी के अभाव में हुआ है। अतः आपत्ति के अधीन रखी गई राशि को समाप्त करने की कृपा की जाय। वर्तमान में निविदा निस्तारण एवं तकनिकी कार्य हेतु कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर को प्राधिकृत किये गये है।		
21	25	योजना में अनियमितता	योजना में अनियमितता तकनीक के अभाव में हुए है। अब जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर द्वारा तकनीक सहयोग किये जाते है। अतः योजना में कोई अनियमितता नहीं होगी। इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।		

22	26	विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं-1.73 (लाख में)	योजना के कार्यान्वयन में कोई खास विलम्ब नहीं हुए। थोड़े समय का विलम्ब स्थानीय समास्याओं के कारण हुए हैं। प्रायः योजना की मापी समय-सीमा के अन्तर्गत हुई है, भुगतान में विलम्ब हुआ है फिर भी इसका सही-सही आकलन कर संबंधित व्यक्ति से राशि वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। अतः इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।		
23	27	श्रम उप कर की कटौती नहीं 1.50 (लाख में)	श्रम उप कर की कटौती जो वर्ष 2007-08 से लागू है इसकी जानकारी सरकार के स्तर से नगर निकाय को नहीं दिये गये। फलस्वरूप: राशि की कटौती जानकारी के अभाव में नहीं किया जा सका। अंकेक्षण दल के सुझाव के आलोक में नियमित रूप से श्रम उपकर की कटौती की जा रही है, और संबंधित शीर्ष में जमा किये जा रहे हैं। अतः इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।		
24	28	दैनिक मजदूरी पर अनियमित व्यय-16 00 (लाख में)	नगर पंचायत हवेली खड़गपुर में अब एक भी कर्मो दैनिक मजदूरी पर कार्यरत नहीं है। वर्ष-2015 से ही स्वच्छता का कार्य वाहरी श्रोत से कराये जा रहे हैं। अतः अंकेक्षण आपत्ति के अधीन इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।		
25	29+30	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप एवं लेखा परीक्षा परिणाम	ये दोनों नियमित कंडिका है इसे विलोपित करने की कृपा की जाय।		

11.9.18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर, मुंगेर।
11/9/18